लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2323

10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीएफसी की स्थापना

2323. श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र क्षेत्र के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु राज्यों को आवंटित निधियों का वर्ष/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीएफसी के लिए मशीनरी और उपकरणों के लिए कर्नाटक राज्य को आवंटित और संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि उपयोग/संवितरित की गई है और यह योजना देश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों को किस हद तक प्रोत्साहन देगी?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): पावरटेक्स इंडिया योजना के सीएफसी घटक के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक 10,49,39,718 रु. की धनराशि का उपयोग/संवितरण किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक सहित पावरटेक्स इंडिया योजना के उक्त घटक के अंतर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। सीएफसी को पावरटेक्स इंडिया योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था। इस योजना को अब पावरटेक्स इंडिया योजना के केवल निम्नलिखित उप-घटकों सहित विभिन्न योजनाओं की रोल ओवर देनदारियों को पूरा करने के लिए कुल 853 करोड़ रुपये के परिव्यय से टेक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की एकछत्र योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है:

1. समूह वर्कशेड
2. विद्युतकरघा बुनकरों के लिए पीएम क्रेडिट योजना
3. सादे करघों का इन-सीटू उन्नयन
4. पीएससी (विद्युतकरघा सर्विस सेंटर्स) को सहायता अनुदान
5. सुविधा और आईटी

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत क्लस्टर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर उन्नत करघे और सहायक उपकरण, वर्कशेड के निर्माण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, उत्पाद और डिजाइन विकास आदि जैसी पहलों के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंवर्जेन्स सुनिश्चित करने और मंत्रालयों में दोहराव से बचने के लिए, एनएचडीपी के तहत सीएफसी-आधारित पहलों हेतु वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है और यह एमएसएमई मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत प्रदान की जाती है। सीएफसी को छोड़कर, एनएचडीपी के तहत अन्य सभी पहलें पूर्व की भाँति जारी हैं।

****